उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-15/2023/731/एक-1-2023-1-1099/34/2023

लखनऊः दिनांकः 03 अगस्त, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 219 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचना संख्या-3/2021/217/एक-1-2020-रा0-1 दिनांक-10 फरवरी, 2021 को विखण्डित करती है; और अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (2) के परन्तुक में उल्लिखित राज्य सरकार की शक्ति, मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित करती हैं।

आज्ञा से,

सुधीर गर्ग

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.15/2023/731/Ek-1-2023-1-1099/34/2023 dated: 03 August, 2023:

NOTIFICATION

No.15/2023/731/Ek-1-2023-1-1099/34/2023
Lucknow; Dated 03 August, 2023

In exercise of the powers under section 219 of Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) (hereinafter referred to as the "said Act") read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to rescind Notification no. 3/2021/217/one-1-2020-Ra-1 dated February 10, 2021; and the Governor is further pleased to delegate the power of the State Government mentioned under proviso to sub-section (2) of section 101 of the said Act to the Divisional Commissioners.

By order,
Sudhir Garg
Additional Chief Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।